न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री पवर्त सिंह चुण्डावत R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2023/286
प्रकरण संख्या 107/23

अनवान

1. श्री बालकृष्ण पिता भेरू लाल सुथार निवासी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज.।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी कानोड जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

—: : निर्णय : :— **दिनांक :—09.11.2023**

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा कानोड चक ए पटवार हल्का कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0 की जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 505 की आराजी नंबर 3350 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि में नवीन भू–प्रबंधन के बाद आराजी नंबर 3350 की तरमीम मौके अनुसार नहीं कर अन्यत्र कर दी गई जहा प्रार्थी का कब्जा नहीं है जिससे त्रुटि को सुधारा जाकर दुरस्त किये जोन का निवेदन किया।

2. पत्रावली तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो इस प्रकार है कि :–

   I. यह कि गत सेटलमेंट के जमाबंदी संवत् 2046–49 में खाता संख्या 829 पर आराजी संख्या 908/2क रकबा 0.07 बिस्वा भूमि श्री ईलयाज खान पिता नहार खान मुसलमान सा.देह गैर खातेदार दर्ज थी जो जरिये ना.म. संख्या 1893 दिनांक 08.04.1991 से उक्त गैर खातेदार को आराजी संख्या 908/2क की खातेदारी अधिकार देने की मंजूरी प्राप्त हुई है। श्री ईल्याज खान को खातेदारी हक प्राप्त होने के पश्चात उन्होने आराजी 908/2क रकबा 0.07 बिस्वा भूमि जरिये ना.म.स. 1898 दिनांक 27.05.1998 बिकाव से पुरा खाता बालकृष्ण डाल चंद पिता भेरूलाल सुथार निवासी कानोड को विक्रय कर दिया।

   II. यह कि गत सेटलमेंट की जमाबंदी संवत् 2050–53 के खाता संख्या 793 पर आराजी संख्या 908/2क रकबा 0.07 बिस्वा भूमि बालकृष्ण लालचंद पिता भेरूलाल सुथार सा.देह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जो जरिये ना.म.स. 2446 से संपूर्ण आराजी श्री बालकृष्ण पिता भेरूलाल सुथार के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई।

   III. यह कि कंप्युटर से जमाबंदी लिखाई के दौरान कंप्युटर द्वारा "क" "ख" आदि शाब्दिक नाम वाले खसरा संख्या स्वीकार नहीं करने से जरिये खसरा शुद्वि पत्र से आराजी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Parvat Singh Chundawat
Date: 2023.12.15 16:19:18 IST
Reason: SelfAttested

908/2क के नए नंबर 908/4 दिए गए जो जमाबंदी संवत् 2070–73 में खाता संख्या 522 पर पूर्ववत खातेदार बालकृष्ण पिता भेरूलाल सुथार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान नवीन सेटलमेंट में वर्तमान साबिक आराजी संख्या 908/2 के नए हाल आराजी नंबर 3346, 3347, 3349, 3350 बनाये गये। वर्तमान सेटलमेंट जमाबंदी सवंत् 2078–81 खाता संख्या 505 आराजी संख्या 3350 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि बालकृष्ण पुत्र भेरू लाल सुथार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है किन्तु मौके अनुसार उक्त आराजी संख्या 3350 रकबा 0.08 हैक्टेयर पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है प्रार्थी का कब्जा वर्तमान समय में आराजी संख्या 3346 पर है।

IV यह कि आराजी संख्या 3346 राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार बिलानाम सरकार किस्म सडक रकबा 0.2100 हैक्टेयर दर्ज है किन्तु जहा प्रार्थी का कब्जा 0.08 हैक्टेयर भूमि पर है वहा मौके पर सडक नहीं है। तहसीलदार कानोड द्वारा आराजी संख्या 3346 रकबा 0.2100 हैक्टेयर भूमि में से 0.08 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी बालकृष्ण पिता भेरूलाल सुथार में नाम दर्ज करना एवं प्रार्थी के नाम दर्ज आराजी नंबर 3350 रकबा 0.08 हैक्टेयर में बिलानाम सरकार दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के कथनानुसार जमाबंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या 505 की आराजी संख्या 3350 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में खातेदार बालकृष्ण पुत्र भेरूलाल सुथार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। नवीन भू–प्रबंधन के बाद उक्त प्रार्थनाग्रस्त आराजी नंबर 3350 की तरमीम मौके अनुसार नहीं कर अन्यत्र कर दी गई जिसे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया जिससे यह पाया कि जमाबंदी संवत् 2050–53 के खाता संख्या 793 पर आराजी संख्या 908/2क रकबा 0.07 बिस्वा भूमि बालकृष्ण लालचंद पिता भेरूलाल सुथार सा.देह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जो जरिये ना.म.स. 2446 से संपूर्ण आराजी श्री बालकृष्ण पिता भेरूलाल सुथार के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई। यह कि कंप्युटर से जमाबंदी लिखाई के दौरान कंप्युटर द्वारा "क" "ख" आदि शाब्दिक नाम वाले खसरा संख्या स्वीकार नहीं करने से जरिये खसरा शुद्धि पत्र से आराजी संख्या 908/2क के नए नंबर 908/4 दिए गए। जमाबंदी संवत् 2070–73 मे खाता संख्या 522 की आराजी नंबर 908/4 प्रार्थी खातेदार बालकृष्ण पिता भेरूलाल सुथार सा.देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। नवीन भू–प्रबंधन के बाद साबिक आराजी नंबर 908/2 के नये आराजी नंबर 3346, 3347, 3349, 3350 बने। आराजी नंबर 3350 रकबा 0.08 हैक्टेयर वर्तमान में प्रार्थी खातेदार बालकृष्ण पिता भेरूलाल सुथार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है किन्तु प्रार्थी का मौके अनुसार आराजी नंबर 3350 पर कब्जा नहीं होकर आराजी नंबर 3346 रकबा 0.2100 में से 0.08 हैक्टेयर भूमि पर है जिससे तहसीलदार कानोड़ द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस पेश किया गया। आराजी नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Parvat Singh Chundawat
Date: 2023.12.15 16:19:18 IST
Reason: SelfAttested

3346 रकबा 0.2100 हैक्टेयर वर्तमान रिकॉर्ड में बिलानाम सरकार किस्म सडक दर्ज है। तहसीलदार कानोड द्वारा प्रार्थी का कब्जा आराजी नंबर 3346 रकबा 0.2100 हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर भूमि पर होना बताया जहां मौके पर सडक नहीं होना बताया। प्रकरण में नामांतरण संख्या 919 के अध्ययन से यह पाया कि दिनांक 25.01.1975 को आराजी संख्या 908 / 2 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा में से 7 बिस्वा भूमि श्री ईल्याज खां पिता श्री नाहर खां को गैर खातेदार के रूप में आवंटित हुई जो नामांतरण संख्या 1893 दिनांक 08.04.1991 से उक्त गैर खातेदार को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गया और आगे बिकाव से प्रार्थी के नाम दर्ज हुई। नामांतरण संख्या 919 पर नक्शा ट्रेस भी अंकित है जो तहसीलदार कानोड द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस से मिलान होता है जिससे स्पष्ट है कि भू–प्रबंधन के बाद प्रार्थी की आराजी को गलत तरमीम किया गया है। तहसीलदार कानोड द्वारा अपनी रिपोर्ट में आराजी संख्या 3346 रकबा 0.2100 हैक्टेयर भूमि में से 0.08 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी बालकृष्ण पिता भेरूलाल सुथार के नाम दर्ज करने व प्रार्थी के नाम दर्ज आराजी नंबर 3350 रकबा 0.08 हैक्टेयर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने की अनुशंषा की।

4. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेज के आधार पर व नामांतरण संख्या 919 पर अंकित नक्शा ट्रेस से यह पाया गया कि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थी की आराजी 3350 रकबा 0.08 हैक्टेयर की तरमीम मौके अनुसार नहीं कर अन्यत्र कर दी गई जिसे सुधारा जाना न्यायाहित में आवश्यक है। प्रकरण में माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा समस्त न्यायिक (राजस्व) अधिकारियों को भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार व माननीय राजस्व मण्डल के अपील / एल.आर. / 6933 / 2011 / उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.(12) राज.16 / 92 / 26 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि सेंटलमेंट के दौरान हुई त्रुटियों को सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: :आदेशः :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कानोड चक ए पटवार हल्का कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0 की जमाबंदी संवत् 2078–81 की आराजी नंबर 3346 रकबा 0.2100 हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर भूमि बिलानाम सरकार के बजाय प्रार्थी बालकृष्ण पुत्र भेरूलाल सुथार सा.देह खातेदार के नाम दर्ज करने व आराजी नंबर 3350 रकबा 0.08 हैक्टेयर प्रार्थी बालकृष्ण पुत्र भेरूलाल सुथार सा. देह खातेदार के बजाय बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parvat Singh Chundawat
Date: 2023.12.15 16:19:18 IST
Reason: SelfAttested